

Form-1
(For Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate, Dehradun

No. 3

Date: 5.8.2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of Ministry of Environment (MoEF), Government of India's letter No. 11-09/98-FC 9(Pt.) Dated 28th October 2014, it is certified that **1.1111** hectares of forest land proposed to be diverted in the favour of **GAIL (India) Limited** for laying of Natural Gas Pipeline along with OFC along NH-72 (Nepali Farm-Dehradun Road) from village Nepali Farm via Village Chidderwala, Majri Grant, Bhaniawala, Lacchiwala, Kunwawala to Mohkampur having total length of **11.111** Km of Reserve Forest falling in the state of Uttarakhand in District- Dehradun. According to this letter, (Copy of letter enclosed herewith for your ready reference please) for the projects like laying of pipelines/ Optical Fibres, Transmission lines etc., where *linear diversion of use of forest land in several villages are involved*, unless recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities are being affected, are exempted from the requirement of obtaining consent of the concerned Gram-Sabha(s) as stipulated in clause(c) read with clause (e) and clause (f) in second para of this Ministry's said letter dated 03.08.2009.

It is further certified that forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "*forest*" less than 75 years prior to 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006) as per census-2001 and the census-2011. This proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities. A copy of Sub Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as Annex...A to B.

Enclosed:-As Above.



District Magistrate
Dehradun (Uttarakhand)



जिलाधिकारी
देहरादून।

जिला स्तरीय समिति

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं 2008 के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक श्री श्री. वशिंकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री श्री रविशंकर	जिलाधिकारी, देहरादून	प्रमोदीश वनाधिपति
2	श्रीजीव श्रीमान	डी.एफ.ओ. देहरादून	देवचरण बन प्र...
3	जतिमिह रानत	जिला समाज कल्याण	जिला समाज कल्याण
4	देवेन्द्र सिंह नेगी	कृषि मंत्री, देहरादून	सबरस देहरादून
5	ताजेन्द्र सिंह 9892161934	सदस्य जिला पंचायत देहरादून	जिला पंचायत देहरादून

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन किया जाता है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन किया गया।

प्रतिलिपि:- गेल (इंडिया) लिमिटेड, जुबिली टावर, जी बी नगर, नोएडा।

जिलाधिकारी
देहरादून ।

परियोजना का नाम-नेपाली फार्म-देहरादून पाइपलाईन कनेक्टिविटी के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहरादून वन मण्डल की 1.1111 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के बावत।

कार्यालय उपजिलाधिकारी ऋषिकेश

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाणपत्र

उपखंड स्तरीय समिति

जनपद देहरादून के उपखंड ऋषिकेश में ग्राम नेपाली फार्म से उपखंड देहरादून के ग्राम मोहकमपुरतक गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहरादून जनपद में आने वाली 1.1111 हे. आरक्षित वन भूमि का प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के उपखंड स्तरीय समिति ऋषिकेश की दिनांक 02/07/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रेम लाल उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

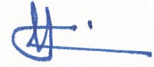
1. प्रेम लाल उपजिलाधिकारी ऋषिकेश
2. को. को. प्रतीक्षिता
3. श्री महेश सलाप सिंह (20 20 50 अधि०)
4. श्रीमती विना देवी - प्रमुख क्षेत्र पंचायत - डोईवाला
5. गोकुल रत्ना - क्षेत्र पंचायत सिद्धवाला

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश
उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग देहरादून
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास - डोईवाला
वनपद देहरादून उत्तराखण्ड
विना देवी
प्रमुख
क्षेत्र पंचायत डोईवाला
क्षेत्र पंचायत सदस्य
सिद्धवाला - डोईवाला
विना देवी - उत्तराखण्ड

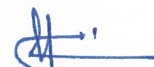
उपखंड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए, उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहारादून के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु देहारादून जनपद में आने वाली 1.1111 हे० आरक्षित वन भूमि का प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अंतर्गत वन अधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है। उक्त भूमि का प्रयोक्ता एजेंसी तथा वन विभागद्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें कि देहारादून जनपद में आने वाली विभिन्न सड़कों, नहरों इत्यादि के किनारों की पट्टियों की कुल 1.1111 हे० आरक्षित वन भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित परियोजना सार्वजनिक हित में है जिसका संज्ञान लेते हुए प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबन्धित उपप्रभागीय वन अधिकारी श्री बि. बि. मल्लोल्या द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्टकरते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। सतह प्रकरण में उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद देहारादून के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 मि. मी. गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु 1.1111 हे० आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण प्रस्ताव को जनहित में होने के कारण सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तन किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।


उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी देहारादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम- नेपाली फार्म-देहरादून पाइपलाईन कनेक्टिविटी के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहरादून वन मण्डल की 1.1111 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के बावत।

कार्यालय उपजिलाधिकारी डोईवाला

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाणपत्र

उपखंड स्तरीय समिति

जनपद देहरादून के उपखंड ऋषिकेश में ग्राम नेपाली फार्म से उपखंड देहरादून के ग्राम मोहकमपुर (वाया उपखंड डोईवाला के ग्राम माजरी ग्रान्ट, भानियावाला, लच्छीवाला) तक गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहरादून जनपद में आने वाली 1.1111 हे. आरक्षित वन भूमि का प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के उपखंड स्तरीय समिति डोईवाला की दिनांक 29/07/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री लक्ष्मी राज चौहान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. लक्ष्मी राज चौहान

Upj
उप जिलाधिकारी
डोईवाला

2. को. की. प्रतीक्षा

उप प्रभारी वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग देहरादून

3. श्रीमद्देशप्रताप मिश्र (स.स. उ.अ.वि.)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड - डोईवाला

4. श्रीमती बनि देवी - प्रमुख क्षेत्राध्यक्ष

बनि देवी
प्रमुख

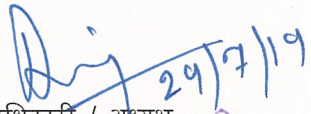
5. श्रीमती सुलोचना देवी - क्षेत्र पंचायत सदस्य

क्षेत्र पंचायत डोईवाला
उप जिलाधिकारी
विकास खण्ड डोईवाला
देहरादून (तत्परावरमंड)

उपखंड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए, उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहरादून जनपद में आने वाली 1.1111 हे० आरक्षित वन भूमि का प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अंतर्गत वन अधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है। उक्त भूमि का प्रयोक्ता एजेंसी तथा वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें कि देहरादून जनपद में आने वाली विभिन्न सड़कों, नहरों इत्यादि के किनारों की पट्टियों की कुल 1.1111 हे० आरक्षित वन भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित परियोजना सार्वजनिक हित में है जिसका संज्ञान लेते हुए प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबन्धित उपप्रभागीय वन अधिकारी श्री क. की. मतेनिया द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। सतह प्रकरण में उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद देहरादून के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 मि. मी. गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु 1.1111 हे० आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण प्रस्ताव को जनहित में होने के कारण सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तन किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।


उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी
डोईवाला

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी
डोईवाला

परियोजना का नाम- नेपाली फार्म-देहरादून पाइपलाईन कनेक्टिविटी के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहरादून वन मण्डल की 1.1111 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के बावत।

कार्यालय उपजिलाधिकारी देहरादून

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाणपत्र

उपखंड स्तरीय समिति

जनपद देहरादून के उपखंड ऋषिकेश में ग्राम नेपाली फार्म से उपखंड देहरादून के ग्राम मोहकमपुर तक गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहरादून जनपद में आने वाली 1.1111 हे. आरक्षित वन भूमि का प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के उपखंड स्तरीय समिति देहरादून की दिनांक 01/07/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री कमलेश मेहता उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. कमलेश मेहता, उपजिलाधिकारी, देहरादून

2. श्री ० श्री ० प्रतीक्षा

परगना मजिस्ट्रेट (सदर)
देहरादून

3. श्रीमहेश प्रताप सिंह (संसद के अधिकारी)

महानियुक्त समाज कल्याण अधिकारी

विकास खण्ड - डोईवाला

4. श्रीमती विना देवी - प्रमुख क्षेत्र पंचायत - डोईवाला

जनपद देहरादून उत्तराखण्ड

वीन। देवी
प्रमुख

क्षेत्र पंचायत डोईवाला

5. श्री विनोद कुमार पार्थक हरिवाला कुआँवाला

विनोद कुमार
पार्थक

बार्ड नं. 97 हरिवाला, कुआँवाला
नगर निगम, देहरादून

उपखंड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए, उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु देहरादून जनपद में आने वाली 1.1111 हे. आरक्षित वन भूमि का प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अंतर्गत वन अधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है। उक्त भूमि का प्रयोक्ता एजेंसी तथा वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें कि देहरादून जनपद में आने वाली विभिन्न सड़कों, नहरों इत्यादि के किनारों की पट्टियों की कुल 1.1111 हे. आरक्षित वन भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित परियोजना सार्वजनिक हित में है जिसका संज्ञान लेते हुए प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबन्धित उपप्रभागीय वन अधिकारी श्री वि.बि. मल्लोत्रा द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। सतह प्रकरण में उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद देहरादून के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 मि. मी. गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु 1.1111 हे. आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण प्रस्ताव को जनहित में होने के कारण सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तन किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।


उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
परगना मजिस्ट्रेट (सदर)
देहरादून

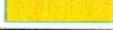
प्रतिलिपि : जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
परगना मजिस्ट्रेट (सदर)
देहरादून

प्रारूप -17

परियोजना विवरण : जनपद देहरादून के कुंवावाला गांव में GAIL के रिसीविंग टर्मिनल (RT) के लिए एप्रोच रोड के निर्माण हेतु 0.0132 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव

बार चार्ट

					
चौड़ाई (मीटर)					
क्रम संख्या	भूमि का प्रकार	संकेत	याचित भूमि लम्बाई x चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कुल हेक्टेयर
1	आरक्षित वन भूमि		22.00 x 6.00	132.00	0.0132
2	वन पंचायत भूमि		0.00 x 0.00	0.00 x 0.00	0.00 x 0.00
3	सिविल सोयम वन भूमि		0.00 x 0.00	0.00 x 0.00	0.00 x 0.00
4	नाप भूमि		0.00 x 0.00	0.00 x 0.00	0.00 x 0.00
कुल भूमि			22.00 x 6.00	132.00	0.0132

लम्बाई (मीटर)

हस्ताक्षर/-

प्रयोजन एजेंसी
बाख्तावर सिंह / BAKHTAWAR SINGH
उप महाप्रबन्धक (निर्माण) / Dy. General Manager (Const.)
गेल (इंडिया) लिमिटेड / GAIL (India) Limited
आर.टी.-हरिद्वार, ज्वालामुख-249407 (सुपराबाद)
R.T.-Haridwar, Jwalapur-249407 (Haridwar)
तहसीलदार
तहसीलदार सदर
उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग

वन वनाधिकारी
वन क्षेत्र अधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
प्रभागीय
उप विभागीय वनाधिकारी
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून
उप-जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून